

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 1780

दिनांक:- 14-6-19

आदेश संख्या :- 418 / 2018-19

विभागीय आदेश संख्या 406 / 2019-20 दिनांक 03.06.2019 द्वारा नवनियुक्त कनि० लेखाकारों को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा) उदयपुर में दिनांक 17.06.2019 से 09.08.2019 तक आयोजित होने वाले कनि० लेखाकार के पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित देने हेतु मनोनीत किए जाने के आदेश जारी किए गए थे।

उक्त आदेश के क्रम संख्या 5 पर अंकित जोगेन्द्र सिंह पुत्र राना राम पोटलिया (मेरिट क्र. 407 / 2013) तहसीलदार, राजस्व विभाग, बाडमेर को उनके स्वयं के आवेदन पर विभागीय आदेश 2565 दिनांक 07.01.2019 द्वारा उनके पूर्व पद (पुलिस कानिस्टेबल) पर कार्यमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

अतः विभाग से कार्यमुक्त किए जाने की स्वीकृति के कारण विभागीय आदेश संख्या 406 / 2019-20 दिनांक 03.06.2019 में क्र.सं. 5 पर अंकित श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र राना राम पोटलिया (मेरिट क्र. 407 / 2013) तहसीलदार, राजस्व विभाग, बाडमेर का नाम विलोपित किया जाता है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), रानी रोड, उदयपुर-313001 को सूचनार्थ।
4. कार्यालय, तहसीलदार बाडमेर।
5. सम्बन्धित कार्मिक को सूचनार्थ।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा)वेबसाइट हेतु।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक-III